रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 17, 1986/ज्येष्ठ 26, 1908
No. 135] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 1986/JYAISTHA 26, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 जून, 1986

अधिसूचना

सं० फा० 4(1)-डब्ल्यू एम०/86:—आम जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि भारत सरकार, वित्त विभाग द्वारा आर्डर 24 मई, 1946 की अधिसूचना संख्या डी./4767-बी०/46 द्वारा घोषित भारत सरकार का 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946 इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के समाप्त होने पर अथवा 16 सितम्बर, 1986 को या उसके बाद सममूल्य पर वापसी-अदायगी के लिये देय हो जायेंगे

और इस तारीख के बाद इस ऋण पर अदायगी के लिये कोई ब्याज उद्भूत नहीं होगा यदि 16 सितम्बर, 1986 को किसी केन्द्र पर छुट्टी हुई, तो उन केन्द्रों पर उससे पहले के कार्य-दिवस पर 15 सितम्बर तक, जिसमें वह तारीख भी शामिल है देय ब्याज सहित वापसी अदायगी की जायेगी ।

2. इस ऋण के धारक अपनी प्रतिभूतियां नये ऋणों में रूपांतरण के लिये, जिनका ब्यौरा अलग अधिसूचित किया जायगा, प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. निर्धारित तारीख को ऋण की वापसी-अदायगी करने के लिये, वे धारक जो परिपक्व होने वाले ऋण से संबंधित अपनी प्रतिभूतियां रूपांतरण नहीं कराना चाहते, अपनी प्रतिभूतियां 26 अगस्त, 1986 को अथवा इसके बाद लोक ऋण कार्यालयों, राजकोष उप-राजकोषों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा इसके मनोनीत बैंकों की शाखाओं में (जहां वे प्रतिभूतियां ब्याज की अदायगी के लिये मुद्रांकित/पंजीयित हों) प्रस्तुत कर सकते हैं।

4. उन्मोचन-मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का पूर्ण ब्यौरा उपर्युक्त मुनतान कार्यालयों में से प्रत्येक कार्यालय में उपलब्ध है और वहां से प्राप्त किया जा सकता है ।

राष्ट्रपति के आदेश से,

बी० बालसुब्रमण्यम, अपर सचिव अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 1986

No. F. 4(3)-W&M|86.—It is notified for general information that the Government of India 3 per cent. Conversion Loan, 1946 announced by Government of India, Finance Department vide their Notification No. D|4767-B|46 dated 24th May, 1946 will fall due for repayment at par on the expiry of three months from the date of publication of this Notification in the Government Gazette i.e. on and after the day of 16th September 1986 and that after this date no interest shall accrue for payment on this loan. In case 16th September 1986 happens to be a holiday at any centre, the rapayment will be made at those centres on the previous working day with interest due upto and inclusive of 15th September 1986.

2. The holders of the loan may tender their securities for conversion into new loans, the details of which will be notified separately.

3. To facilitate repayment of the loan on the due date holders, who do not desire to convert their securities pertaining to the maturing loan, may tender them at the Public Debt Offices, Treasuries/Sub-Treasuries or branches of State Bank of India or its Associate Banks (at which they are enfaced/registered for payment of interest) on or after 26th August, 1986.

4. Full details of the procedure for receiving the discharge value are available and may be obtained from any of the aforesaid paying offices.

By order of the President,

V. BALASUBRAMANIAN, Addl. Budget Officer.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986